

भारतसरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीयखानब्यूरो  
क्षेत्रीयखाननियंत्रककार्यालय  
कर्मयोगीभवन, चतुर्थमाला, ब्लॉक-2, सीविंग,  
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010

पंजीकृत पावती



उल्लंघन पत्र

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines

Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, C Wing,  
Sec10A, Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावलीसंख्या: MCDR-MiFLOLST/145/2022-GNR-IBM\_RO\_GNR

Mine code: 38GUJ08022

दिनांक: 29.12.2023

10-192/23

सेवामें:

M/s GHCL Ltd., Mining Division,  
Sutrapada,  
District: JUNAGADH,  
GUJARAT, 362275

E mail:-[mining@ghcl.co.in](mailto:mining@ghcl.co.in), [r chopra@ghcl.co.in](mailto:r chopra@ghcl.co.in)  
Mobile:9328849666,


विषय:गुजरात राज्य के जिला: जूनागढ़ की तालुका-मालीया हटिना में स्थित आपकी भंडूरी चूना पत्थर खदान, क्षेत्रफल- 10.69 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का संशोधित खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.11.2023 को श्री चन्दन कुमार, प्रबन्धक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघनों के प्रकारों का विस्तृत ब्योरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-286/2020-21/MDRD(N)GNR दिनांक 04.12.2021 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (i) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2022-23 में पर्यावरण सुधार हेतु 20 पौधे लगाकर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित वृक्षारोपण नहीं किया गया है। (ii) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान पर 20 मी. Fencing लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित Fencing नहीं लगाई गई है।
28(1)	The holder of a mining lease shall send to the authorized officer, a notice in Form-E when the mining operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding ninety days so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance. In your case, mining operations have been discontinued from long time. No such notice in Form-E has been sent till date.

- ०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- ०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
- ०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- ०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय  
  
सुनील कुमार शर्मा  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर -सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

भवदीय  
सुनील कुमार शर्मा  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो